उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2744077
Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक–499/APO-2019-20/ दिनांक 06 सितम्बर, 2019

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड।
3. अपर प्रमख वन संरक्षक, परियोजनायें,उत्तराखण्ड।
4. अपर प्रमख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, हल्द्वानी।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषयः– **नये प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम– 2016 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली–2018 के प्राविधानों के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 के प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2016 को अधिसूचित **प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016** (Compensatory Afforestation Fund ACT 2016) के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को **प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018** (Compensatory Afforestation fund Rules, 2018) की अधिसूचना जारी की गई है। तत्क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2018 को जारी अधिसूचना द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2018 से **प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 के समस्त प्राविधान** लागू किये जा चुके हैं।

2. **प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016** की धारा 15(I)(i) के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना को राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति तथा संचालन समिति की संस्तुति उपरान्त, इसका अन्तिम अनुमोदन राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति द्वारा किया जाना है।

3. **प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 18(I)(i) अनुसार वार्षिक कार्ययोजना को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति के अनुमोदनोपरान्त, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली 2018 की धारा 39 अनुसार प्रत्येक दशा में 31 दिसम्बर तक राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु उपलब्ध करवाया जाना है। इस कम में वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना को संकलित कर कार्यकारी समिति एवं संचालन समिति के माध्यम से तद्नुसार भारत सरकार को 31 दिसम्बर, 2019 तक उपलब्ध कराया जाना है।**

4. उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि वर्ष 2020–21 हेतु अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ प्रभागों/कार्यालयों की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव इन दोनों अभिलेखों में वर्णित नियमो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि कैम्पा के अन्तर्गत प्रस्तावित की जाने वाली समस्त गतिविधियों को उक्त अधिसूचित नियमावली की धारा 39 के पृष्ठ सं0–51 **फार्म–XII (संलग्नक–1)** अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना है। समस्त क्रियान्वयन अभिकरण फार्म–XII में उल्लिखित **भाग–2 एवं 3** के अनुसार समस्त गतिविधियों का विवरण पत्र में दिये गये आवश्यक दिशा–निर्देशों के अनुसार संकलित कर वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें। आपकी सुगमता के दृष्टिगत विभिन्न गतिविधियों के प्रस्ताव तैयार करवाने हेतु **निर्धारित प्रारूप** संलग्न कर प्रेषित हैं। **फार्म–XII के भाग–1 व भाग–4 से संबंधित सूचना इस कार्यालय के स्तर पर पूर्ण की जायेगी।**

5. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रबंधन, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं से अपेक्षा है कि अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित संकलित वार्षिक कार्ययोजना को **दिनांक 30 सितम्बर, 2019** तक संस्तुति सहित अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध

करवाने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि प्रस्तावों को संकलित कर इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व उसके कैम्पा के प्रचलित नियमों के अंतर्गत औचित्य एवं उपयोगिता के प्रति भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें।

वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देशः–

वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 हेतु प्रस्ताव की अधिकतम सीमा निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

क्रम	स्तर/अभिकरण	कार्यमद	वर्ष 2020–21 की प्रस्तावित बजट सीमा (करोड़)	निर्धारित प्रारूप
1	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।	1. एन0पी0वी0 के अन्तर्गत वन पंचायतों का सुदृढ़िकरण मद में वनीकरण, चारागाह विकास, भूमि एवं जल संरक्षण कार्य, माइक्रोप्लानिंग, क्षमता विकास एवं समुदाय के माध्यम से वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य आदि।	₹ 15.00	संलग्नक–2
2	प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड।	1. एन0पी0वी0 के अन्तर्गत वन्यजीव प्रबन्धन संबधी गतिविधियां, अवस्थापना विकास (चौकी निर्माण, वन मार्ग मरम्मत आदि) वनीकरण, पौधशाला, मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य, वनाग्नि नियंत्रण आदि।	₹ 45.00	संलग्नक–3 एवं यथा आवश्यक संलग्नक–5 के प्रारूप
		2. अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियां (पथ वृक्षारोपण, गैप फिलिंग वनीकरण, ट्रांसमिशन लाईन के नीचे बौनी प्रजाति का पौध रोपण, रिवर ट्रेनिंग)।		
		3. क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत यथा आवश्यकता अग्रिम मृदा कार्य, वनीकरण, अनुरक्षण आदि संबंधी गतिविधियां।		
3	अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं।	अनुमोदित कैट प्लान के सापेक्ष कियान्वयन।	₹ 35.00	संलग्नक–4
4	अपर प्रमख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, हल्द्वानी।	एन0पी0वी0 के अन्तर्गत क्षमता विकास एवं वन अनुसंधान।	₹ 5.00	संलग्नक–5 के प्रारूप 5.9 व 5.10
5	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल।	1. क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत यथा आवश्यकता अग्रिम मृदा कार्य, वनीकरण, अनुरक्षण आदि संबंधी गतिविधियां।		
		4. अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियां (पथ वृक्षारोपण, गैप फिलिंग वनीकरण, ट्रांसमिशन लाईन के नीचे बौनी प्रजाति का पौध रोपण, रिवर ट्रेनिंग)।	₹ 70.00	संलग्नक–5
		5. एन0पी0वी0 के अन्तर्गत अवस्थापना विकास (चौकी निर्माण, वन मार्ग मरम्मत आदि), वनीकरण, पौधशाला, मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य, वनाग्नि नियंत्रण आदि।		
6	मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ।	1. क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत यथा आवश्यकता अग्रिम मृदा कार्य, वनीकरण, अनुरक्षण आदि संबंधी गतिविधियां।	₹ 50.00	संलग्नक–5
		2. अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियां (पथ वृक्षारोपण, गैप फिलिंग वनीकरण, ट्रांसमिशन लाईन के नीचे बौनी प्रजाति का पौध रोपण, रिवर ट्रेनिंग)।		
		3. एन0पी0वी0 के अन्तर्गत अवस्थापना विकास (चौकी निर्माण, वन मार्ग मरम्मत आदि) वनीकरण, पौधशाला, मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य, वनाग्नि नियंत्रण आदि।		
		कुल	**₹ 220.00**	

नोटः– 1. प्रस्तावों को अन्य किसी स्तर से सीधे इस कार्यालय को प्रेषित न किया जाए।

2. भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्ययोजना/वन्यजीव प्रबन्धन योजना के निरूपण, संचालन व्यय, विविध (Miscellaneous) एवं कंटिंजेंसी सम्बंधी प्रस्ताव न प्रेषित किये जाएं। इसके अतिरिक्त अधिसूचित नियमों में वर्णित नियम 5 के उपखण्ड 4 में वर्णित प्रतिबंधित कार्यकलापों हेतु भी प्रस्ताव न दिये जाये।

i. वार्षिक कार्ययोजना निरूपण हेतु धनराशि सांकेतिक है। विभिन्न अभिकरणों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार इससे कम अथवा अधिक का भी प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है परन्तु इस हेतु पूर्ण औचित्य भी अपेक्षित होगा। **यदि किसी अभिकरण द्वारा उक्त धनराशि से अधिक का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है तो स्वीकृति होने की दशा में उपरोक्त अनुमोदित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभिकरण का ही होगा।**

ii. **एन.पी.वी.** के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियों को **प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018** के **नियम–2(5)(2)** के अधीन **अनुमन्य न्यूनतम 80%** एवं **नियम–2(5)(3)** के अन्तर्गत **अनुमन्य अधिकतम 20%** की गतिविधियों अनुसार पृथक–पृथक दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए। सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तावित कार्यों में व्यय संबंधी नियमों का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. शुद्व वर्तमान मूल्य के उपयोग की रीति–

(1) राज्य निधि में जमा की गई निवल वर्तमान मूल्य और शास्ति निवल मूल्य हेतु प्राप्त रकमों का उपयोग उपनियम (2) और उपनियम (3) में विहित रीति से किया जाएगा

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित रकमों की अस्सी प्रतिशत (80%) से अन्यून रकम राज्य में वन तथा वन्यजीव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्

(क) सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरूज्जीवन

(ख) कृत्रिम पुनरूजजीवन

(ग) वनों में वन–वर्धन संबंधी क्रियाकलाप:

(घ) रोपणों और वनों का संरक्षण

(ड) वनों में नाशक जीव और रोगों का नियन्त्रण

(च) दावानल निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप:

(छ) वनों में मृदा और आर्द्रता संरक्षण संबंधी कार्य:

(ज) अनुमोदित वन्यजीव प्रबन्धन योजना/कार्यकारी योजना में यथा विहित वन्यजीव पर्यावास का सुधार

(झ) संरक्षित क्षेत्रों से गांवो को अन्यत्र बसाया जाना

(ञ) वन्यजीव गलियारो में आने वाली वनेतर भूमि पर रोपण तथा वनावरण का पुनरूज्जीवन

(ट) पशु बचाव केन्द्र की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण और वन्य पशुओं के लिए पालन उपचार सुविधाये

(ठ) वन की सीमा के निकटतम गावों में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथानिर्दिष्ठ काष्ठ की बचत करने वाले उपरकणों और अन्य वन उत्पादों की बचत करने वाले यंत्रों की आपूर्ति

(ड) जैवविधिता तथा जैव संसाधनों का प्रबंधन

स्पष्टीकरण: ऐसे मामलों में जहां वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण की स्कीमों के लिए निधियां विनिर्दिष्ट रूप से एकत्रित की जाती है। और राज्य निधि में जमा कराई जाती है वे निधियां विनिर्दिष्ठ वन्यजीव क्षेत्रसें में वन्यजीव प्रबंधन के लिए खन्न की जानी चाहिए न कि निवल वर्तमान मूल्य से।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट रकमों की बीस प्रतिशत (20%) से अनधिक रकम वन तथा वन्यजीवों से संबंधित अवसंचना को सुदृढ करने राज्य निधि में जमा कराई जाती है, वे निधियां विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में वन्यजीव प्रबंधन के लिए खर्च की जानी चाहिए न कि निवल वर्तमान मूल्य से।

(क) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों के लिए, नवीनतम सुविधाओं सहित आधुनिक नर्सरियों की स्थापना, उन्नयन और अनुरक्षण और अन्य रोपण राटॉक उत्पादन सुविधायें।

(ख) पर्यासंवर्धन के परिक्षण, भूमि पशुओं और शूक्ष्म जीवों की लोक विविधता और विशिष्ट विकसित किस्मों पालतू पशुधन और नस्लों का संरक्षण और जैवाविविधता से संबंधित ज्ञान के इतिवृत्त लेखन सहित जैवीय विविधता का संरक्षण, वहनीय उपयोग और प्रलेखन:

(ग) वन और वन्यजीवों के संरक्षण के प्रयोजन के लिए संसूचना तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रयुक्त होने वाले उपस्करों या उपकरणों की खरीद और अनुरक्षण:

(घ) निरीक्षण मार्गो वन क्षेत्र में वन सड़कों अग्रिम रेखाओं, निगरानी टावरों, चेक पोस्टों और इमारती लकड़ी के डिपों का संनिर्माण, उन्नयन और अनुरक्षण:

(ड) वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए अग्रिम पंक्ति के स्टाफ के लिए वनों में आवासीय तथा कार्यालय भवनों का निर्माण:

(च) राज्य निधि से किए जाने वाले वन और वन्यजीव के संरक्षण के कार्यो के लिए राज्य वन विभाग के नियमित स्टाफ की सहायता करने के लिए स्थानीय लोगों या श्रमिकों को अनियमित रूप से लगाया जाना:

(छ) प्रतिपूरक वनीकरण कार्यो, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, आवाह क्षेत्र शोधन और राज्य निधि से निष्पादित की जाने वाली वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रण:

(ज) राज्य निधि के लिए किये जाने वाले कार्यो की तृतीय पक्ष निगरानी सहित कार्यो की समवर्ती निगरानी और मूल्याकंन:

(झ) राज्य प्राधिकरण द्वारा संवर्धित सरकारी भूमि पर वनों के बाहर वृक्षों को बढावा दिए जाने के लिए सहायिकी वाले मूल्य पर प्रामाणिकरण नर्सरी के माध्यम से गुणवता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण

(ञ) वन प्रमाणीकरण और प्रमाणीकरण मानकों का विकासः

(ट) राज्य सरकार द्वारा संबंधित सरकारी भूमि वनों के बाहरण वृक्षों को बढ़वा दिये जाने के लिए रोपण स्टॉक का वितरणः

परन्तु यह यदि उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने है, तो उक्त कार्यकलाप को कार्यपालक स्कीम (working plan)के अनुसार किए जाएंगेः

और परन्तु यह भी कि यदि मामले मे उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों मे किए जाते है, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किए जाते है तब उपनियम 2 और 3 में उल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा वन प्रबंधन समिति या ग्राम वन समिति, जो कि मामला हो, के परामर्श से किए जाएंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों, जहां कही प्रयोज्य हो, अनुरूप होगेः

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले मे उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों में किए जाते है, जो अनुमोदित कार्य योजना द्वारा शामिल नहीं किये जाते है तब उन्हें मामले के अनुसार, संबंधित ग्राम सभा अथवा वन संरक्षण समिति अथवा ग्राम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामार्श से किया जाएगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और उसके तहत् जारी किए गए दिशा–निर्देशों के तहत् जहां लागू हो, के अनुरूप होंगे।

वार्षिक कार्ययोजना को संकलित करते समय निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाएः–

(क) क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियों के अन्तर्गत वृक्षारोपण (गैप फिलिंग, पथ वृक्षारोपण एवं बौनी प्रजाति वृक्षारोपण) के कार्य पूर्व से ही स्थल विशिष्ट है अर्थात इनका स्थान पूर्व से ही निर्धारित है। इन कार्यों का प्रस्ताव वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणवार, भौतिक लक्ष्य, चयनित स्थल का जी.पी.एस. विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थल विशिष्ट प्रस्तावित गतिविधियों हेतु भी यह समस्त विवरण दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार चयनित स्थल में बिना सक्षम कार्यालय की पूर्व अनुमति के कोई परिवर्तन मान्य नही होगा।

(ख) वांछित विवरण के अभाव में प्रस्तावित गतिविधि को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाना सम्भव नही हो पायेगा।

(ग) क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्ताव वास्तविक आधार पर तैयार किये जाये एवं उनका अनुरक्षण भी 7 वर्ष हेतु किया जाना है। वनीकरण के प्रस्तावित अनुरक्षण हेतु धनराशि का प्राविधान/प्रस्ताव तभी किया जाए, जब वृक्षारोपण की सफलता निर्धारित मानकों के अनुसार हो। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी इसकी पुष्टि हेतु उत्तरदायी होंगे।

(घ) **मृदा एवं जल संरक्षण** सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के प्रस्ताव Springshed Management Consortium (SMC) के मानकों के आधार पर किया जाए।

(ङ) प्रस्तुत प्रस्तावों का कियान्वयन यदि राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने है, तो कार्यपालक स्कीम (कार्ययोजना/प्रबन्धन योजना) के अनुसार किए जाएंगे।

(च) समस्त प्रस्ताव अंग्रेजी के "फॉन्ट "Times New Roman" के "साइज 10" में संलग्न Excel फाइल (.xls) में तैयार किये जाये एवं उनको सॉफ्ट–कॉपी में भी सक्षम स्तर से इस कार्यालय को प्रेषित किये जाये।

(छ) विशेष ध्यान दिया जाये कि भारत सरकार द्वारा जारी नियम 5 के उपखण्ड 4 में वर्णित कार्यकलापों हेतु प्रस्ताव न दिये जाये। सुलभ संदर्भ हेतु इन कार्यकलापों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(4) उप नियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए नही किया जाएगा, अर्थात्

(क) राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के नियमित कर्मचारियों को वेतन यात्रा भत्तों, चिकित्सीय व्यय आदि का भुगतान

(ख) विदेशी दौरे करनाः

(ग) अधिकरणों अथवा न्यायलयों में दर्ज किए गए मामलों जो राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन नहीं है, का प्रतिवाद करने के लिए विधिक सेवाओं के लिए भुगतान

(घ) राज्य निधि से किए गए विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के वन रेंज, अधिकारियों से बडे अधिकारियों के लिए आवासीय और कार्यलयी भवनों का निर्माण

(ड) राज्य निधि से किए गए विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के वन रेंज, अधिकारियों से बडे अधिकारियों के लिए आवासीय और कार्यालयी भवनों का निर्माणः

(च) वनीकरण प्रयोजनार्थ भूमि को लीज पर देने, किराए पर देने और उसकी खरीद करनेः

(छ) विभिन्न वन प्रभागों में राज्य निधि से किए गए कार्यक्रमों के कार्यान्यवन के लिए राज्य वन विभाग के आवासों और कार्यालयों के लिए एयर कंडीशनरों और जेनेरेटर्स सेटों सहित फर्नीचर, कार्यालय उपरकण, फिक्चर्स की खरीदः

(ज) कार्ययोजना निर्धारिण्ध के तहत् राजस्व सृजन के लिए वृक्षों की वाणिज्यिक कटाई द्वारा वन में सृजित खाली स्थानों में कार्य योजना के अनुसार अनिवार्य वनीकरण

(झ) ऐसी स्कीमों के प्रतिपूरक कार्यो अथवा बकाया कार्यो को पूरा करने के लिए स्कीमों के आशिंक रूप से वित्त पोषण के प्रयोजनार्थ सरकार की अन्य स्कीमों के तहतफ किए गए वन और वन्यजीव संरक्षण और अन्य कार्यकलापों को करने के लिएः

(ञ) चिड़ियाघर और वन्यजीव सफारी की स्थापना, विस्तारण और उन्नयन।

(ट) विद्यमान वन निगमों, बोर्डो आदि को नए वन निगमों बोर्डो आदि को अनुदान या साम्या के जरिए कारण प्रभावित हुए है।

स्पष्टीकरण 2 निवल वर्तमान मूल्य के लिए प्राप्त रकमों ाके किसी अन्य बजट य पूजी या बचे हुए कार्यो के क्रियान्वयन के अंतर्गत किन्ही अन्य राज्य स्कीमों के साथ मिलाने की अनुमति नही दी जाएगी और उप नियम (2) और उन नियम (3) के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्य एकमात्र आधार पर होंगे और विभिन्न घटकों के अंतर्गत अनुमत्य कार्यो की पुनरावृति नहीं होगी।

(ज) उक्त के अतिरिक्त यदि चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्य किन्ही ठोस कारणों से पूर्ण नही हो पाये/पा रहे हों एवं उन्हें अगली 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाना हो तो ऐसी गतिविधियों को 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना के अतिरिक्त, पृथक से प्रस्तावित किया जाय, ताकि उन्हें पुनर्वैद्य किये जाने हेतु कैम्पा की कार्यकारी एवं संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। **यह स्पष्ट करना है कि इस धनराशि का प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना हेतु उक्त वर्णित धनराशि की सीमा के अतिरिक्त होगा।** इस प्रकार की अवशेष गतिविधियों को पुर्नवैद्य किये जाने के प्रस्ताव को किसी प्रकार का आश्वासन न समझा जाय कि ये गतिविधियां अनिवार्य रूप से पुनर्वैद्य हो पायेंगी। इस पर अन्तिम निर्णय उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी एवं संचालन समिति के अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार के स्तर पर लिया जायेगा।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार **निर्धारित स्तर पर संकलित वार्षिक कार्ययोजना (2020–21)** को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित **दिनांक 30 सितम्बर, 2019** तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। इस संबंध में यदि किसी और जानकारी की आवश्यकता हो तो इस कार्यालय में किसी भी कार्य–दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है। सुलभ संदर्भ हेतु **प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016** एवं **प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018** की अधिसूचना उत्तराखण्ड कैम्पा की वेबसाइट www.ukcampa.org.in के मुख्य वेबपेज पर दायीं ओर उल्लिखित Download Section में भी उपलब्ध हैं।

भवदीय,

6/9/19

(डा0 समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

पत्रांकः–499/APO-2019-20/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 02.09.2019 को आहूत बैठक के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड (HoFF) एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6/9/19

(डा0 समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांकः–499/ APO-2019-20/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– समस्त वन संरक्षक/निदेशक–राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड एवं समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित वार्षिक कार्ययोजना को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से सक्षम अधिकारी को निर्धारित तिथि (दिनांक 30.09.2019) के दृष्टिगत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6/9/19

(डा0 समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा